

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर
पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या - 179/2024
उनवान

1. अक्षय कुमार, कल्पेश जैन बनाम 1. तहसीलदार रामसर।
राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0मू0राज0 अधिनियम
आदेश दिनांक 28.11.2024 04/12/2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 255 रकबा 10..7970 हेक्टेयर मौजा खेजडीयाली नाडी पटवार मण्डल सियाणी में आये हुये है। उक्त खसरों के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जमाबंदी ओनलाईन करते समय हितेश कुमार पुत्र मदन लाला, लालू पुत्र मदन लाल गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी के आधार, रासन कार्ड अन्य सभी दस्तावेजों में सही नाम अक्षय कुमार पुत्र मदन लाल व कल्पेश जैन पुत्र मदन लाल दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

पत्रावली को अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के आधार कार्ड एवं सलगन समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 255 रकबा 10..7970 हेक्टेयर मौजा खेजडीयाली नाडी पटवार मण्डल सियाणी में राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जमाबंदी ओनलाईन करते समय हितेश कुमार पुत्र मदन लाला, लालू पुत्र मदन लाल गलत दर्ज हो गया है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं प्रार्थी के आधार कार्ड एवं सलगन समस्त दस्तावेजों के आधार पर सही नाम अक्षय कुमार पुत्र मदन लाल व कल्पेश जैन पुत्र मदन लाल दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
रामसर

दिनांक 04.12.2024

क्रमांक : रीडर/2024/ 3710-92
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. अक्षय कुमार, कल्पेश जैन ।
3. पटवारी सियाणी।



उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर